# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority


© Govt. of Haryana

No. 200-2022/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2022 (KARTIKA 20, 1944 SAKA)

**हरियाणा सरकार**

पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग

**अधिसूचना**

दिनांक 11 नवम्बर, 2022

**संख्या 16/10/2015–3पर्या.–** चूंकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 48–क अन्य बातों के साथ विचार करता है कि राज्य, पर्यावरण के संरक्षण की कोशिश करेगा;

चूंकि पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 तथा 7 और वायु (प्रदूषण निवारण और नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) की धारा 19 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए तथा यातायात और मानव स्वास्थ्य सम्बंधी खतरों से बचने के लिए राज्य में पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए तुरन्त कदम उठाना आवश्यक तथा समीचीन है;

और चूंकि राज्य सरकार, औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु तथा पर्यावरण की गुणवता बनाए रखने तथा क्षेत्र के निवासियों को स्वास्थ्य सम्बन्धी खतरे से भी बचाने के लिए पहले ही निर्णय ले चुकी है;

और चूंकि हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ० 29/1986/धा० 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016 के अनुसार, अनुसूची–I के अनुसार स्थल निर्धारण मानदण्ड मानकों, अनुसूची–II के अनुसार अपेक्षित उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों, अनुसूची–III के अनुसार जोनों की पहचान तथा स्थलों की उपलब्धता तथा अनुसूची–IV के अनुसार परिलक्षित जोनों में स्थापना तथा संचालन के लिए प्रक्रिया के बारे में स्टोन क्रशिंग इकाइयों के लिए निर्देश दिए गए थे;

इसलिए, अब, भारत सरकार, पर्यावरण तथा वन मन्त्रालय, पर्यावरण, वन तथा वन्यजीव विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 152 (ई), दिनांक 10 फरवरी, 1988 के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 7 तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में और हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग, अधिसूचना संख्या का०आ० 12/के०अ० 29/1986/धारा 5 तथा 7/2016, दिनांक 11 मई, 2016, के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, अनुसूची–I के अनुसार स्टोन क्रशरों के स्थल निर्धारण मानकों और अनुसूची– II के अनुसार उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाओं के बारे में स्टोन क्रशरों की स्थापना के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते है;

इसलिए अब, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम–4 के उप–नियम (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, नोटिस दिया जाता है कि राजपत्र में, इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन की अवधि की समाप्ति को या के बाद, सरकार द्वारा ऐसे आक्षेपों तथा सुझावों, यदि कोई हो, सहित, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व अधिसूचना के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, पर्यावरण विभाग के कार्यालय में प्राप्त किए जाएं, पर विचार किया जाएगा :

उपरोक्त निर्दिष्ट अधिक्रमित अधिसूचना के अनुसरण में की गई कोई कार्रवाई इस अधिसूचना के उपबन्धों के अधीन की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी जहां तक वह इस अधिसूचना के उपबन्धों के असंगत न हो।

**अनुसूची I**

**हरियाणा में स्टोन क्रैशरों के स्थल हेतु मानक**

| क्रम संख्या | मानदण्ड | किलोमीटर में दूरी |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | निकटतम राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राज्य राजमार्ग से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 0.5 |
| 2. | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 5.0 |
| 3. | समान जिले के निकटतम नगर निगम की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 2.0 |
| 4. | निकटतम नगर/शहर/नगरपालिका की सीमाओं से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 1.0 |
| 5. | निकटतम गांव की फिरनी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी<br>यदि वहां कोई फिरनी नहीं है, तो दूरी गांव की आबादी देह से मापी जाएगी तथा बी–चिराग राजस्व सम्पदा (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रमाणित की जानी है), की दशा में मौका स्थल पर वास्तव में दूरी निकटतम बसी हुई राजस्व सम्पदा से मापी जाएगी। | 0.5 |
| 6. | सड़कों, नहरों, रेल लाइनों तथा बांधों के साथ वन/पौधारोपण पट्टी के सिवाए सरकारी रिकार्ड (राजस्व या वन विभाग) में वन के रूप में अभिलिखित किसी भूमि से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 0.25 |
| 7. | 20 किलोलीटर क्षमता वाली खुले आसमान की अनुमोदित जल आपूर्ति स्कीम से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 1.0 |
| 8. | 25 या उससे अधिक अन्तरंग रोगियों का प्रबन्ध करने वाली किसी अन्तरंग स्वास्थ्य उपचार इकाई से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 1.0 |
| 9. | राष्ट्रीय पार्को, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण–स्थान) तथा संरक्षण आरक्षणों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 2.0 (एन.पी.)<br>1.0 (डब्ल्यू.एल.एस.) |
| 10. | शिक्षा संस्थानों से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 0.5 |
| 11. | किसी खनन क्षेत्र/छोटी पहाड़ी से अपेक्षित न्यूनतम दूरी | 0.5 |

उपरोक्त कथित अनुसूची के सम्बन्ध में निम्नलिखित निर्देश भी दिए जाते हैं.–

(i) गांव से दूरी के सिवाए सभी दूरियां, जब तक कि विशेष रूप से ऊपर वर्णित नहीं की जाती हैं, सम्बन्ध आकृति (रूपक) की परिधि के लिए स्टोन क्रैशर की भूमि की निकटतम सीमा से कौवा उड़ान (क्रो फ्लाई) के रूप में मापी जानी हैं।

(ii) उस गांवों की दशा में, जहां व्यक्तिगत स्टोन क्रैशर तथा गांव के बीच कोई पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड़ आता है, वहां गांव के दूरी के मानदंड के लिए पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड़ की सबसे छोटी लाईन के साथ इस शर्त के अध्यधीन कि पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए पहाड़ी/छोटी पहाड़ी/पहाड के आधार न्यूनतम 300 मीटर की दूरी होनी चाहिए तथा इस सम्बन्ध में निर्णय, स्थानीय पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए मामले के आधार पर किया जाएगा।

(iii) विद्यमान, अनुमोदित क्रैशर जोन तथा उनका विस्तार उपरोक्त स्थल निर्धारण न्यूनतम दूरी मानदण्ड से प्रभावित नहीं होगा चूंकि उपरोक्त स्थल निर्धारण मानदण्ड के संयोजन में स्टोन क्रेशिंग इकाइयों के समूह वाली सम्भाव्यता सम्भव नहीं हो सकती। उपरोक्त वर्णित स्थल निर्धारण मानदण्ड केवल वर्तमान विद्यमान क्रैशर जोन या उनके विस्तार से बाहर के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली स्टोन क्रेशिंग इकाइयों को लागू होंगे।

(iv) क्रैशर जोन, सभी पणधारी विभागों तथा एच.एस.पी.सी.बी. से सहमति लेने के बाद, खनन तथा भू–विज्ञान विभाग द्वारा पहचाने तथा अनुमोदित किए जाएंगे।

(v) किसी भी स्टोन क्रैशर इकाई को फरीदाबाद, पलवल (पूर्व फरीदाबाद जिला) तथा गुरूग्राम जिलों में परिलक्षित क्रैशर जोनों के बाहर स्थापित या संचालित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(vi) यदि संरक्षित क्षेत्र जैसे कि राष्ट्रीय पार्क, वन्य जीव अभ्यारणों (शरण स्थान) या संरक्षण आरक्षण के इको–अति संवेदनशील जोन एक/दो किलोमीटर, जैसी भी स्थिति हो, से अधिक दूरी का नियन्त्रण रखने के लिए अधिसूचित है, तो उस का पालन किया जाएगा।

(vii) विभिन्न विहित स्थानों के स्टोन क्रशरों की दूरी सम्बद्ध तहसीलदार द्वारा प्रमाणित/सत्यापित की जाएगी तथा वन भूमि के लिए स्थल निर्धारण दूरी के बारे में रिपोर्ट सम्बद्ध मण्डल वन अधिकारी से ली जाएगी। सम्बन्धित बोर्ड का क्षेत्रीय अधिकारी, मण्डल वन अधिकारी या तहसीलदार द्वारा सत्यापन से भिन्न विहित स्थानों की दूरी सत्यापित करेगा।

## अनुसूची II

## उत्सर्जन मानकों तथा प्रदूषण नियन्त्रण उपायों की अपेक्षाएं

**मद I**

**प्रदूषण नियन्त्रण पैरामीटर :–**

किसी स्टोन क्रैशिंग इकाई के किसी प्रक्रिया उपकरण से 3 मीटर तथा 10 मीटर के बीच मापा जाने वाला आस्थगित परमाणु कण (जिसे इसमें, इसके बाद, एस.पी.एम. के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) 600 माईक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक नहीं होगा। एस.पी.एम. का माप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, (1986 का केन्द्रीय अधिनियम 29) तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाना है।

**मद II**

**प्रदूषण नियन्त्रण उपायः–**

पर्यावरण (सरंक्षण) नियम, 1986 के अधीन स्टोन क्रेशिंग इकाइयों द्वारा अनिवार्य बाध्यता के अनुसार निम्नलिखित प्रदूषण नियन्त्रण यन्त्र तथा माप लगाए जाने तथा संचालित किए जाने अपेक्षित हैं अर्थात् :–

(1). ढके हुए शेडों तथा फव्वारों के रूप में साधन के लिए धूल नियन्त्रण एवं निरोध प्रणाली;

(2). सभी विद्यमान स्टोन क्रैशर, अधिसूचना के जारी किए जाने की एक वर्ष की अवधि के भीतर, वायु प्रदूषण नियन्त्रण के अतिरिक्त उपाय जैसे कि इकाई के सम्पूर्ण क्षेत्र में टाईले लगाना, अपनी इकाईयों में अपने वाहकों को पूर्ण रूप से ढकना तथा फोगर मशीनें लगाना, सुनिश्चित करेंगे।

(3). दूरदर्शी जल प्रपात की व्यवस्था के साथ–साथ कम से कम 50 मीटर लम्बी तथा कम से कम 16 फुट ऊंचाई की अनुमोदित वायु रोकने वाली दीवार का निर्माण यह सुनिश्चित करने के लिए कि नोड से पीसी हुई सामग्री ऐसे बिन्दु से छोड़ी जाती है जो वायु रोकने वाली दीवार की ऊंचाई से कम से कम 2 फुट नीचे है। दीवार संरचनात्मक रूप से पक्की होगी तथा क्रैशर इकाई की अतिसंवेदनशील आबादी की दिशा को आच्छादित करेगी;

(4). स्थापना की सहमति देते समय हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित क्रैशिंग इकाइयों के परिसरों के भीतर या स्टोन क्रैशिंग इकाइयों के आवासन जोन के भीतर वाहन संचालन के लिए धातु की सड़क का निर्माण तथा अनुरक्षण;

(5). अनुमोदित क्रैशर जोन के परिसरों के भीतर या तो व्यक्तिगत रूप से या क्रैशरों द्वारा संयुक्त रूप से मुहैया कराई जाने वाली धातु सड़कें प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें) के परामर्श से हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा यथा अवधारित होंगी। ये सड़कें निर्माण तथा अनुरक्षण की सन्तोषजनक विशिष्टियों के अनुसार निर्मित की जाएंगी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को जोन में स्टोन क्रैशर या एकल स्थल या जोनों के भीतर परिसरों के निरन्तर संचालन को रद्द करने का प्राधिकार होगा जहां ऐसी धातु सड़के प्रश्नगत क्षेत्र को यथा लागू व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से सन्तोषजनक रूप से निर्मित या अनुरक्षित नहीं की गई हैं।

(6). क्रैशिंग इकाई तथा जोन के परिसरों तथा शेष अहाते जहां इकाई स्थित है, के भीतर भूमि की नियमित सफाई करना तथा उसे गीला करना।

(7). सभी स्टोन क्रैशिंग इकाइयों से सम्बन्धित वन मण्डलं अधिकारी द्वारा पौधारोपण योजना के अनुमोदन के बाद दो पंक्तियों की पौधारोपण वृक्षवीथि वाली परिधि के साथ हरित पट्टी मुहैया कराई जाएगी। परिसरों के भीतर पौधारोपण के पूर्ण रूप से विकसित होने तक परियोजना प्रस्तावक धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए परिधि के साथ– साथ अवरोध/रूकावट का निर्माण किया जाएगा। ऐसी रूकावट सभी तरफ से परिसरों को पूर्णरूप से बन्द करने वाली होनी चाहिए तथा या तो चार दीवारी या लचीला कपड़ा (तारपोलिन इत्यादि) या दोनों का संयोजन हो सकता है। रूकावट की ऊंचाई वाहक पट्टे के उच्चतम सिरे की ऊंचाई से कम नहीं होगी।

(8). स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कम से कम 10 किलोलीटर क्षमता की जल भण्डारण सुविधा के साथ–साथ कम से कम 50 फव्वारों का प्रबन्ध करेंगी। इसके अतिरिक्त उन्हें 100 टन प्रतिदिन के स्टोन क्रॅशिंग क्षमता तथा उच्चतर क्षमता क्रैशर इकाइयों के लिए तद्नुसार यथानुपात के लिए कम से कम 10 किलोलीटर जल प्रतिदिन छिड़कना चाहिए।

(9). फव्वारा प्रणाली के नियमित संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, स्टोन क्रैशिंग इकाइयां भार सर्वेक्षण तथा मांग विशेषता वाले पृथक उर्जा मीटर के साथ–साथ अन्तःपाशन (इन्टरलॉकिंग) प्रणाली का प्रबन्ध करेगी।

(10). ऐसे प्रदूषण नियन्त्रण साधन द्वारा उर्जा की खपत के लिए उर्जा मीटर द्वारा यथा अभिलिखित दैनिक डाटा से युक्त लॉग–बुक, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड या इसके प्राधिकृत अधिकारी को स्थल पर या मुख्यतः उसके बाद तीन कार्य घण्टों की अवधि के भीतर उसकी मांग पर तुरन्त उपलब्ध कराई जाए।

(11). स्टोन क्रैशिंग इकाइयां कच्ची सामग्री केवल वैध स्रोत से प्राप्त करेंगी तथा वैध खनन पट्टा धारकों से एकमात्र सम्पर्क करना होगा तथा देशविधि के अधीन उस पर यथा लागू उत्पादन डाटा, भुगतान कर तथा शुल्कों के

साथ–साथ स्टोन क्रैशिंग इकाइयों द्वारा प्रयुक्त कच्ची सामग्री के स्रोत तथा मात्रा तथा उपयोग से सम्बन्धित सम्पूर्ण डाटा प्रस्तुत करेंगी।

(12). किसी अनुमोदित जोन के साथ हरित पट्टी कम से कम 100 मीटर की गहराई की होंगी या हरित पट्टी की गहराई की दिशा में ऐसे वृक्षों की कम से कम 10 पंक्तियों सहित क्रैशर जोन की परिधि के साथ होंगी। परिधि के साथ ऐसे वृक्षों का अंतराल परिधि के साथ आठ मीटर से अधिक नहीं होगा। बागान वृक्षों की प्रकृति तथा ऐसे वृक्ष बागान के लिए अपेक्षित उनके संरक्षण उपाय सक्षम वन मण्डल अधिकारी के अनुमोदन के अध्यधीन होंगे। हरित पट्टी लगाने तथा अनुरक्षण के लिए जिम्मेवारी संयुक्त रूप में जोन में संचालित सभी स्टोन क्रैशिंग इकाईयों के स्टोन क्रैशर संघ की होगी और यदि संघ मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने में असफल रहता है, तो इस सम्बन्ध में अनुपालना करने तक उस जोन में सभी क्रैशरों का संचालन, राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा निलम्बित कर दिया जाएगा।

(13). किसी भी स्टोन क्रेशर को चौ, नदी या उनके बाढ़ संरक्षण तटबंध के भीतर नदी तल में स्थापित किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(14). समय–समय पर यथा संशोधित, दिनांक 15 अप्रैल 2014 को अधिसूचित हरियाणा राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड के दिनांक 6 मार्च, 2014 के सहमति पालिसी आदेश, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 6) तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का केन्द्रीय अधिनियम 14) के अधीन स्थापना की सहमति तथा संचालन की सहमति प्राप्त करने के लिए भी लागू होंगे।

**मद** III

**भूमि की आवश्यकता**

प्रत्येक नई स्टोन क्रैशिंग इकाई, चाहे अनुमोदित जोन में है या बाहर, को भूमि का कम से कम एक एकड़ का क्षेत्र में, यदि उसके पास केवल मशीनरी का एक सेट है तथा कम से कम 1.5 एकड़ भूमि में यदि उसके पास मशीनरी के एक सेट से अधिक है, चलानी चाहिए तथा उसका मालिक होना चाहिए। यदि भूमि पट्टे पर ली गई है, तो पट्टा को राजस्व प्राधिकारी से पंजीकृत करवाना चाहिए तथा यदि भूमि पंचायत से पट्टे पर ली गई है, तो यह अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, विकास तथा पंचायत विभाग की लिखित अनुमति से होनी चाहिए। पट्टा अवधि सात वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा अपरिवर्तनीय होनी चाहिए।

**मद–IV**

**विद्यमान स्टोन क्रैशरों को प्रभावित करने वाली नई स्थापनाओं के पश्चातवर्ती प्रवेश से सम्बन्धित मामलों का समाधान करना।**

उन दृष्टांतों में, जहां स्थल मानकों की अपेक्षा करने के लिए नई स्थापना (नई सड़क, नया अधिसूचित वन, विस्तारित नगरपालिका क्षेत्र, नई शिक्षा संस्था, नई स्वास्थ्य देखभाल सुविधा इत्यादि) के पश्चातवर्ती प्रवेश के कारण वर्तमान स्टोन क्रैशर इकाईयों को बदले जाने के लिए बाध्य किया जा रहा है, तथ्य कि आधुनिक विस्तारित तथा विकसित शहरी/ग्रामीण मानचित्रण में सोसाइटी के सम्पूर्ण विकास तथा आधुनिकीकरण के लिए उपरोक्त वर्णित स्थापनाओं को प्रारम्भ करना अपरिहार्य है, मान्य है, किन्तु क्रैशर इकाईयां जिन्होंने स्वंय को स्थापित किया है, को पर्याप्त लागत से भाामिल बदलाव का सामना पडेगा। इसलिए, सभी स्टोन क्रैशर इकाइयों को, उनकी स्थापना करने से पूर्व सम्बन्धित सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) लेना अनिवार्य है कि प्रश्नगत के अधीन क्षेत्र में कम से कम अगले पांच वर्ष के लिए अपेक्षित स्थापना हेतु कोई भी अतिरिक्त स्थल मानक अपेक्षित नहीं होंगे, जो प्रस्तावित स्टोन क्रैशिंग इकाई पर प्रभाव डालते हों तथा यदि अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन ऐसी स्थापना अनुज्ञात की जाती है, तो ऐसे मामलों में स्टोन क्रैशर इकाईयों पर अतिरिक्त प्रदूषण नियन्त्रण युक्ति लगाने के अलावा आवश्यक पूर्वोपाय करने के अतिरिक्त नई स्थापना की जिम्मेवारी होगी। इस प्रकार, सहमति केवल आवश्यक अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित क्रैशर इकाई से सहमति लेने के बाद प्रत्येक पांच वर्ष के बाद नवीकृत की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन मामलों में, जहां नई स्थापना के लिए अपेक्षित स्थल पैरामीटर बाद में प्रस्तुत किए गए है, ईकाई के लिए वायु प्रदूषण नियन्त्रण उपाय (ए.पी.सी.एम.) के युक्तियुक्त मानकों सहित ऐसी इकाई के दूरी मानदण्ड को आधे मामले के आधार पर विचार किया जाएगा। वे इकाईयां, जो आधे ईयरमार्क को भी पूरा नहीं करती है, को एक वर्ष की अवधि के भीतर पुनःस्थित किए जाने की आवश्यकता होगी।

विनीत गर्ग,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पर्यावरण विभाग।